अनुदान सहायता की मात्रा/ Quantum of Grant Support

1 मौजूदा पीओ/ Existing POs

पात्र ऋणदात्री संस्था (ईएलआई) से ऋण लेने हेतु जुड़े हुए मौजूदा पीओ के लिए ऋण राशि के अधिकतम 20% तक आवश्यकता-आधारित अनुदान सहायता की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि सहायता के लिए विचार की गई गतिविधि परियोजना का हिस्सा हो और उसकी आवश्यकताएं ईएलआई द्वारा ऋण मंजूरी ज्ञापन में स्पष्ट रूप से मूल्यांकित और तर्कसंगत हों.

Need-based grant support, up to a maximum of 20% of loan amount to the existing POs, linked to availing of loan from the ELIs, may be considered for sanction, provided the activity considered for support forms part of the project and its needs are clearly evaluated and justified in the loan sanction memorandum by the ELI.

2 एमएससी के रूप में बन रहे पैक्स/ पीसीएआरडीबी/ PACSs / PCARDBs becoming as a MSC

पैक्स/पीसीएआरडीबी को बहु सेवा केंद्र (एमएससी) बनाने की सुविधा प्रदान करने और किसान सदस्यों के लाभ हेतु कटाई के पूर्व और कटाई के बाद की फसल कृषि संबंधी सेवाओं की क्षेत्र का विस्तार करने के दृष्टि से आवश्यकता-आधारित अनुदान सहायता जो ऋण राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है और अधिकतम रु.25.00 लाख प्रति पैक्स/ पीसीएआरडीबी के अधीन है, उन पैक्स/पीसीएआरडीबी के लिए उपलब्ध होंगी जो नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत आते हैं/ और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित होते हैं. अनुदान राशि का उपयोग परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए नहीं किया जाएगा.

With a view to facilitating PACS / PCARDBs to become a Multi Service Centre (MSC) and extend a range of pre- and post-harvest agro-related services for the benefit of the farmer members, need-based grant support, not exceeding 10% of the loan amount, subject to the maximum of Rs. 25.00 lakh per PACS/PCARDB, will be available to those PACSs/ PCARDBs which are covered under refinance facility from NABARD / financed by subsidiaries of NABARD. The grant amount will not be utilized towards capital cost of the project.